

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 01/12

संस्थित दिनांक -02/01/12

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर

जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

अरुण उइके पिता मोहन उइके उम्र 30 वर्ष,
 साकिन वार्ड नम्बर 19 परधानी मोहल्ला बैहर
 थाना बैहर, जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 27/12/2016 को घोषित }

01. अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451,323,294 तथा 427 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.08.2011 को करीब 09:30 बजे बस स्टेण्ड बैहर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से गृह अतिचार कर फरियादी विजय गुप्ता को मां बहिन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं उक्त शराब दुकान में 08-10 बोतल शराब तोड़कर रिष्टी कारित की।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विजय गुप्ता ने थाना बैहर में सूचना दी कि वह अंग्रेजी शराब दुकान बैहर में सेल्समेन का काम करता है। दिनांक 25.08.2011 को रात्रि करीब 09:30 बजे एक व्यक्ति आकर उधारी में शराब मांगने लगा तथा उसके मना करने पर मां बहिन की गालियां देकर दुकान के अंदर घुसकर अंग्रेजी शराब की बोतलें तोड़ दी तथा मारपीट करने लगा जिससे उसके पैर में चोट आयी। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आहत का मुलाहिजा करवाया गया। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। पश्चात अनुसंधान अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फसाया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 25.08.2011 को समय करीब रात्रि 09:30 बजे बस स्टेण्ड बैहर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान में फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
- (3) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- (4) क्या आरोपी ने उक्त समय व स्थान पर उक्त शराब दुकान की आठ-दस बोतल तोड़कर रिष्टी कारित की ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3, तथा 4

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05. घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राजेन्द्र सूर्यवंशी (अ0सा03) का कथन है कि वह आरोपी को पहचानता है तथा घटना वर्ष 2011 में रात्रि के 09:30 बजे की है। वह और प्रार्थी विजयगुप्ता की अंग्रेजी शराब दुकान में सेल्समेन का काम कर रहा था उसी समय आरोपी आया और उधारी पर शराब मांगने लगा। विजय गुप्ता ने शराब देने से मना किया तो आरोपी विजय को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा और दुकान के अंदर घुसकर विजय से मारपीट करने लगा। उन दोनों ने उसे अंदर ही पकड़कर मैनेजर को सूचित किया था। जिसके बाद उन्होंने मैनेजर ने पुलिस थाना में सूचना दी थी। पुलिसवालों ने घटनास्थल आकर उसके बताये अनुसार मौकानक्शा प्र.पी02 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06. घटना के शेष साक्षी रमेश (अ0सा01) तथा गजानन (अ0सा02) पक्षद्रोही रहे हैं। जिनहोंने घटना से स्पष्ट इंकार कर पुलिस को किसी प्रकार के कथन देने से इंकार किया है।

07. रामभजन साहू (अ0सा04) का कथन है कि वह और स्व0 धनीराम भैरम दोनों पुलिस थाना बैहर में पदस्थ थे तथा साथ कार्यरत होने के कारण वह धनीराम भैरम के हस्ताक्षर से परिचित है। साक्षी के अनुसार घटना

दिनांक को धनीराम भैरम द्वारा अपराध कमांक 88/11 के अंतर्गत धारा 294, 323, 427, 451 भा.दं०सं० प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी०३ तैयार की गयी थी जिसके ए से ए भाग पर धनीराम भैरम के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा विजय प्रसाद गुप्ता का मुलाहिजा फार्म प्र.पी०४ भरकर मुलाहिजा कराया गया था जिसके ए से ए भाग पर धनीराम भैरम के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान धनीराम भैरम द्वारा आहत विजय गुप्ता तथा साक्षीगण रमेश, गजानन, राजेन्द्र एवं कमलेश के बयान दिनांक 26.08.2011 को लिये गये थे। विजय गुप्ता की निशांदाही पर मौकानक्शा प्र.पी०२ तैयार किया गया है जिसके बी से बी भाग पर धनीराम भैरम के हस्ताक्षर हैं। आरोपी अरुण उइके का फरारी पंचनामा प्र.पी०५ तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर धनीराम भैरम के हस्ताक्षर हैं।

08. अभियोजन द्वारा घटना के आहत परिवादी विजय गुप्ता के कथन नहीं कराये गये हैं और न ही चिकित्सक की साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे प्रकरण में आहत की चोटें प्रमाणित नहीं है। घटना का समर्थन केवल राजेन्द्र अ०सा०३ ने किया है। अन्य साक्षियों ने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की उपधारणा नहीं की जा सकती क्योंकि घटना के आहत के कथन हीं अभियोजन द्वारा नहीं कराये गये हैं। यद्यपि उक्त साक्षी की साक्ष्य अखण्डित है तथापि घटना को संदेह से प्रमाणित करने हेतु अन्य संपोषक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में कोई नुकसानी पंचनामा भी दर्शित नहीं है।

09. अतः आरोपी अरुण उइके पिता मोहन उइके को धारा 294,323,427,451 भा.दं०सं० के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)